तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
	मानसिंह / पप्पू	
20/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकार उपस्थित। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3/7/24 को पेश हो। हस्ताक्षर	
03/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने नजरी नक्शा व दिनांक 06/10/23 की तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पेश की शा० पत्रा० की गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने खसरा न० 109 की सीमा/बाउण्ड्री पर पशुओं की सुरक्षा हेतु पक्की दीवार बनाई है। अप्रार्थी सं० 1 दीवार को तोड़ना चाहता है जिसके विरुद्ध दिनांक 27.06.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। हस्ताक्षर वकील अप्रार्थी सं०1 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी स्वयं के खसरा न० 114 में मकान बनाकर रह रहा है। तथा प्रार्थी की भूमि 109 के पूर्व में उत्तरी कोने पर ख०न० 114 स्थित है। ख०न० 109 में से दो रास्ते कटानी बीच से अप्रार्थी के ख०न० 114 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे आगे आबादी भूमि में जाते हैं। यही रास्ता अप्रार्थी के खसरा सं० 114 में जाता है। प्रार्थी ने जबरन रास्ते को बंद कर ख०न० 114 की दक्षिणी सीमा से सटकर जबरन कटानी रास्ते को बन्द कर पक्की दीवार बना ली अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज कर दीवार हटवायी जावे। हस्ताक्षर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसके बिन्दु 8 में स्पष्ट रूप से दर्शित है कि ख०न० 109 में से रास्ता दूसरे गांव में जाता है। 109 में दीवार का निर्माण होने से 114 में जाने का कोई रास्ता नहीं है। हस्ताक्षर	

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 10:59:48 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की ... जारी हु...
	मामसिंह / पप्पू	
03/7/24	दिनांक 06/10/2024 की TBR रिपोर्ट मय की पेशी नक्शा अनुसार 114 के कौने पर रास्ता मिलता है जो कि खसरा नं० 109 से होकर गुजरते है, रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 6 में बिन्दु H से I तक ख.नं० 109 में पक्की दीवार बनाने से जो कि खसरा 114 की दक्षिणी पश्चिम सीमा से लगती हुई है इसी वजह से ख.नं० 114 का रास्ता अवरुद्ध हुआ है। (हस्ताक्षर) अत: यह स्पष्ट है कि दीवार केवल इसी जगह बनी है पशुओं की सुरक्षा के मद्देनजर अन्य साईड नहीं बनाई जिससे स्पष्ट है कि दीवार रास्ता अवरुद्ध कर रही है अत: आदेश दिए जाते है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट के पेज (3) पर दर्शाये फोटोग्राफ के दक्षिणी से उत्तर दिशा में खसरा नं० 109 के सहारे बनायी गई दीवार प्रार्थी 7 दिवस में हटावें। फैसला सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली नियमानुसार दो नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 10:59:48 IST
Reason: SelfAttested